Date – 8 August 2022

बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार मां को है: सुप्रीम कोर्ट

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जैविक पिता (पति) की मृत्यु के बाद बच्चे की एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते मां को बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार है।
- अदालत जनवरी 2014 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें बच्चे के उपनाम को उसके दिवंगत पहले पति के उपनाम से बदलने और दूसरे पति का उपनाम दर्ज करने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के नए नियम:

- उपनाम न केवल वंश का सूचक है और इसे न केवल इतिहास, संस्कृति और वंश के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामाजिक वास्तविकता के साथ-साथ बच्चों की उनके विशेष वातावरण में भावना से संबंधित है।

- उपनाम की एकरूपता 'परिवार' बनाने, बनाए रखने और प्रदर्शित करने की एक विधा के रूप में उभरती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एकमात्र नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते मां अपने दूसरे पति को भी बच्चे को गोद लेने का अधिकार दे सकती है|

भारत में संरक्षकता से संबंधित कानून:

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम:

- भारतीय कानून नाबालिग (18 वर्ष से कम) की संरक्षकता के मामले में पिता को वरीयता देते हैं।
- हिंदू धार्मिक कानून या हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, (HMGA) 1956 के तहत नाबालिग या संपत्ति के संबंध में एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता और फिर माता है।
- बशर्ते कि पांच साल की उम्र पूरी नहीं करने वाले नाबालिग की कस्टडी आम तौर पर मां के पास होगी।

अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 (जीडब्ल्यूए):

- यह बच्चे और संपत्ति दोनों के संबंध में किसी व्यक्ति को बच्चे के 'अभिभावक' के रूप में नियुक्त करने से संबंधित है।
- यदि प्राकृतिक अभिभावक अपने बच्चे के लिए विशेष अभिभावक के रूप में घोषित होना चाहता है, तो माता-पिता के बीच बाल हिरासत, संरक्षकता और मुलाकात के मुद्दों को जीडब्ल्यूए के तहत निर्धारित किया जाता है।
- एचएमजीए के साथ पढ़ी गई जीडब्ल्यूए के तहत एक याचिका में जब माता-पिता के बीच कोई विवाद होता है, अभिभावकता और हिरासत एक माता-पिता में निहित हो सकती है और दूसरे माता-पिता से मिलने या मिलने का अधिकार हो सकता है।
- ऐसा करने में अवयस्क का कल्याण या "बच्चे का सर्वोत्तम हित" सर्वोपरि होगा।

"बच्चे के सर्वोत्तम हित" का अर्थ:

- भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरसी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में यूएनएनसीआरसी में मौजूद 'बच्चे के सर्वोत्तम हितों' की परिभाषा शामिल है।
- "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का अर्थ है "बच्चे के अपने मूल अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी भी निर्णय का आधार" और किसी भी हिरासत की लड़ाई में हिरासत सर्वोपरि है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937:

- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट [मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937] के अनुसार, संरक्षकता के मामले में, शरीयत या धार्मिक कानून लागू होगा, जिसके अनुसार जब तक बेटा सात साल का उम्र प्राप्त नहीं करता है और जब तक बेटी वयस्क अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक पिता प्राकृतिक अभिभावक होता है, हालांकि पिता को सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।

- मुस्लिम कानून में हिरासत या 'हिजानत' की अवधारणा में कहा गया है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।
- यही कारण है कि मुस्लिम कानून निविदा वर्षों के दौरान बच्चों की कस्टडी के मामले में पिता पर मां को वरीयता देता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक में 1999 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने आंशिक राहत प्रदान की।
- इस मामले में एचएमजीए को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता की गारंटी के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई थी।
- अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
- न्यायालय ने माना कि "बाद" शब्द का अर्थ "पिता के जीवन के बाद" नहीं होना चाहिए, बल्कि "पिता की अनुपस्थिति में" होना चाहिए।
- हालांकि, निर्णय माता-पिता दोनों को समान अभिभावक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जिससे माता की भूमिका पिता के अधीनस्थ हो गई।
- हालांकि फैसला अदालतों के लिए मिसाल कायम करता है, लेकिन इससे एचएमजीए में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

स्वदीप कुमार

मॉडल किरायेदारी अधिनियम

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अनुसार, मॉडल किरायेदारी अधिनियम में अब तक केवल चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम द्वारा संशोधन किया गया है।

मॉडल किरायेदारी अधिनियम की आवश्यकता:

- मौजूदा किराया नियंत्रण कानून किराये के आवास के विकास में बाधा बन रहा है और यह जमींदारों को अपने खाली मकानों को फिर से कब्जा किए जाने के डर से उन्हें किराए पर देने से हतोत्साहित करता है।
- खाली मकानों को किराए पर देने के संभावित उपायों में मौजूदा किरायेदारी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना और संपत्ति के मालिक और किरायेदार दोनों के हितों को विवेकपूर्ण ढंग से संतुलित करना शामिल है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं।
- इससे पहले, सभी भारतीयों का लगभग एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में रह रहा था, जिसका अनुपात 2001 में 82 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2050 तक, भारत के आधे से अधिक लोग शहरों या कस्बों में रह रहे होंगे, मुख्य रूप से प्रवास के कारण।

मॉडल किरायेदारी अधिनियम:

- मॉडल काश्तकारी अधिनियम, 2021 का उद्देश्य परिसर के किराए को विनियमित करने और जमींदारों और किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के लिए एक किराया प्राधिकरण स्थापित करना और विवादों और उससे जुड़े या उससे जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक त्वरित निर्णय तंत्र प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी रेंटल हाउसिंग मार्केट बनाना है।
- यह सभी आय समूहों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को सक्षम करेगा, जिससे बेघर होने की समस्या का समाधान होगा।
- यह औपचारिक बाजार की ओर धीरे-धीरे स्थानांतरित होकर किराये के आवास के संस्थागतकरण को सक्षम करेगा।

प्रमुख प्रावधान:

लिखित समझौता अनिवार्य:

- इसके लिए संपत्ति के मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता होना जरूरी है।

स्वतंत्र प्राधिकरण और रेंट कोर्ट की स्थापना:

- अधिनियम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किरायेदारी समझौतों के पंजीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करता है और यहां तक कि किरायेदारी विवादों को निपटाने के लिए एक अलग अदालत भी स्थापित करता है।

सुरक्षा जमा की अधिकतम सीमा:

- इस अधिनियम में, किरायेदार की अग्रिम सुरक्षा जमा को आवासीय उद्देश्यों के लिए अधिकतम दो महीने के किराए और गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए अधिकतम छह महीने तक सीमित कर दिया गया है।

मकान मालिक और किरायेदार के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन करता है:

- मकान मालिक संरचनात्मक मरम्मत (किरायेदार द्वारा हुई क्षति नहीं) के लिए जिम्मेदार होगा जैसे कि दीवारों को सफेद करना, दरवाजों और खिड़कियों को रंगना आदि।

- किरायेदार नाली की सफाई, स्विच और सॉकेट की मरम्मत, खिड़कियों, दरवाजों में कांच के पैनल को बदलने और बगीचों और खुले स्थानों के रखरखाव आदि के लिए जिम्मेदार होगा।

मकान मालिक द्वारा 24 घंटे पूर्व सूचना:

- मकान मालिक को मरम्मत या प्रतिस्थापन करने के लिए किराये के परिसर में प्रवेश करने से पहले 24 घंटे पूर्व सूचना देनी होगी।

परिसर खाली करने के लिए तंत्र:

- यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में उल्लिखित सभी शर्तों जैसे नोटिस देना आदि को पूरा किया है और किरायेदार किराए की अवधि या समाप्ति पर परिसर खाली करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक मासिक किराए को दोगुना करने का हकदार है।

महत्त्व:

- इस अधिनियम के तहत स्थापित प्राधिकरण विवादों और अन्य संबंधित मामलों को हल करने के लिए एक त्वरित तंत्र प्रदान करेगा।
- यह अधिनियम पूरे देश में किराये के आवास के संबंध में कानूनी ढांचे को बदलने में मदद करेगा।
- आवास की तीव्र कमी को दूर करने के लिए एक व्यवसाय मॉडल के रूप में किराये के आवास में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

चुनौतियां:

- यह अधिनियम राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि भूमि और शहरी विकास राज्य के विषय हैं।

स्वदीप कुमार

भारत-मॉरीशस संयुक्त व्यापार समिति

YOJNA IAS

भारत और मॉरीशस ने 01-03 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता डॉ. श्रीकर के रेड्डी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और श्री नारायणदुथ बूधू, निदेशक, व्यापार नीति, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मॉरीशस सरकार ने की। इस बैठक में दोनों ही देशों के संबंधित सरकारी प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

1 अप्रैल 2021 को लागू हुए भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के सामान्य कामकाज और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) के अधिदेश के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया था। सीईसीपीए

दरअसल अफ्रीका के किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।

- **भारत और मॉरीशस** के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष **2021-22** में बढ़कर **72 मिलियन** अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष **2019-20** में **690.02** मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
    - दोनों पक्ष **द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के लिये द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा** विशेष रूप से CECPA के तहत द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविक क्षमता के महत्त्व को स्वीकार करने पर सहमत हुए।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा मॉरीशस में इसके समकक्ष कौशल विकसित करने पर विभिन्न पेशेवर निकायों की व्यवस्था के प्रमाणीकरण, कौशल और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में समानता स्थापित करने के संबंध में सेवा क्षेत्र में दोनों पक्षों के मध्य वार्ता हुई।
- मॉरीशस पक्ष ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT), वित्तीय सेवाओं, फिल्म निर्माण, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मॉरीशस में पेशेवरों की कमी से अवगत कराते हुए भारत से मॉरीशस में उच्च कुशल पेशेवरों की गतिविधियों का स्वागत किया।

भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता(CECPA):-

- भारत और मॉरीशस ने 22 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) पर हस्ताक्षर किए।
- CECPA अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। दोनों पक्षों ने अपनी आंतरिक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और भारत-मॉरीशस सीईसीपीए गुरुवार, 01 अप्रैल 2021 को लागू होगा।
- समझौता एक सीमित समझौता है, जिसमें माल के व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सेवाएं, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय, विवाद निपटान, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, सीमा शुल्क और अन्य क्षेत्रों में सहयोग प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
- भारत-मॉरीशस CECPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत और मॉरीशस के बीच CECPA में खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ (80 लाइनें), कृषि उत्पाद (25 लाइनें), कपड़ा और कपड़ा लेख (27 लाइनें), आधार धातु और उसके लेख (32 लाइन), इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सहित भारत के लिए 310 निर्यात आइटम शामिल हैं। (13 लाइनें), प्लास्टिक और रसायन (20 लाइनें), लकड़ी और उसके लेख (15 लाइनें), और अन्य।
- मॉरीशस को फ्रोजन फिश, स्पेशलिटी शुगर, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, साबुन, बैग्स, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण और परिधान सहित अपने 615 उत्पादों के लिए भारत में तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होगा।
- जहां तक सेवाओं में व्यापार का संबंध है, भारतीय सेवा प्रदाताओं की 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास, अन्य व्यावसायिक सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, पर्यटन के लगभग 115 उपक्षेत्रों तक पहुंच होगी।

भारत-मॉरीशस सम्बन्ध

भारत-मॉरीशस सम्बन्ध, भारत और मॉरीशस के बीच राजनीतिक, ऐतिहासिक, सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को संदर्भित करता है। दोनों देशों के बीच संबंध 1730 से पहले के हैं। 1948 में, मॉरीशस के स्वतंत्र देश बनने से पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे।

मुख्य बिंदु

- दोनों देशों के बीच लंबे ऐतिहासिक संबंधों ने उनके बीच मजबूत संबंधों में योगदान दिया।
- मॉरीशस की 68% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है।
- दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटने में सहयोग करते हैं।

भारत और मॉरीशस के बीच व्यापार

- 2007 के बाद से, भारत मॉरीशस का आयात का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। अप्रैल 2010-मार्च 2011 वित्तीय वर्ष में मॉरीशस ने 816 मिलियन डालर के सामान का आयात किया था। इसके अलावा, मॉरीशस अप्रैल 2000 से अप्रैल 2011 तक 55.2 बिलियन डॉलर की FDI इक्विटी अंतर्वाह के साथ

एक दशक से अधिक समय से भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।

दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग

- मॉरीशस भारतीय नौसेना के राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार खुफिया नेटवर्क के तटीय निगरानी रडार (Coastal Surveillance Radar – CSR) स्टेशन सहित भारत के सुरक्षा ग्रिड का भी एक हिस्सा है।

हाल के घटनाक्रम:

- उन्नत **हल्के हेलीकॉप्टर एमके III** के निर्यात के लिये भारत ने मॉरीशस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।
- मॉरीशस पुलिस बल द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा।
- 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर भारत और मॉरीशस ने हस्ताक्षर किये।
- **संयुक्त राष्ट्र (UN)** के समक्ष संप्रभुता और सतत् विकास का मुद्दा रहे चागोस द्वीपसमूह विवाद पर भी दोनों देशों ने चर्चा की।
- वर्ष 2019 में भारत ने इस मुद्दे पर मॉरीशस की स्थिति के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया। भारत उन 116 देशों में से एक था, जिन्होंने ब्रिटेन से द्वीपीय देशों से "औपनिवेशिक प्रशासन" को समाप्त करने की मांग करते हुए मतदान किया था।
- भारत द्वारा मॉरीशस को 1,00,000 **कोविशील्ड** के टीके प्रदान किये गए हैं।

भविष्य की राह

- **मिशन सागर** (Mission Sagar) के अंतर्गत भारत की पहल को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 से संबंधित सहायता प्रदान करने के परिपेक्ष्य भारत का रुझान मॉरीशस की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए देखा जा सकता है।
- भारत को इस जुड़ाव को आगे भी बनाए रखने के लिये मॉरीशस, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव और श्रीलंका जैसे समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सक्रिय रहने की आवश्यकता है।
- हिंद महासागर (Indian Ocean) के उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य ने इस महासागर और सीमावर्ती देशों के लिये नई चुनौतियों के साथ-साथ अवसर को जन्म दिया है। मॉरीशस, भारत के अन्य छोटे द्वीपीय पड़ोसियों के साथ अपनी समुद्री पहचान एवं भू-स्थानिक मूल्य के विषय में गहराई से जानता है। ये पड़ोसी भली-भाँति समझते हैं कि एक बड़े पड़ोसी देश के रूप में भारत उनके लिये क्या मायने रखता है।
- जैसा कि भारत दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में अपने सुरक्षा सहयोग के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है, मॉरीशस इसके लिये प्राकृतिक नोड है।
- इसलिये भारत को अपनी नेबरहुड फर्स्ट की नीति में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।

रवि सिंह